

recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	composition.	
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Deputy Secretary or Director, National Commission for Scheduled Castes – Chairperson;  2. Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes - Member;  3. Under Secretary, Department of Social Justice and Empowerment- Member.	Not applicable.

[F. No.17016/11/2022-SCD-VI]

SUBHENDU DAS, Under Secy.

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय****(मत्स्यपालन विभाग)**

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

**सा. का. नि. 94.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, उप निदेशक भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोचीन, में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), उप निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति -इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुबंध-1

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक	2* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु/-)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 – 177500/- रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:

आवश्यक:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी या नौसैनिक वास्तुकला या नौचालन विज्ञान में डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणि-विज्ञान या समुद्र विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या कंप्यूटर एप्लीकेशन या मात्स्यिकी विज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या मत्स्य उद्योग में मास्टर डिग्री; या

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से मात्स्यिकी में सहयुक्त डिप्लोमा; या

वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1987 के अधीन पोत परिवहन विभाग द्वारा जारी किसी विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या मोटरशिप का प्रथम श्रेणी इंजीनियर; या

स्नातक सहित वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा मत्स्य जलयान के स्किपर ग्रेड-1 के रूप में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था मत्स्य जलयान में उपरोक्त उपदर्शित किसी भी विषय या क्षेत्र में पांच साल का शिक्षण और प्रशिक्षण का अनुभव प्राप्त हो, साथ ही तट अधिकारी या प्रदर्शक के रूप में मत्स्य प्रशिक्षण जलयान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में कम से कम दो साल का अनुभव हो।

**वांछनीय:**

मात्स्यिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशासन या लेखा या भंडार का दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.3-70/2018-प्रशा.V]

कृष्ण पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 24th June, 2024

**G.S.R. 94.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Deputy Director Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.** - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director.	2* (2024) * Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage
--	---	------------------------------	--

	case of promotes.		of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.

**(11)**

**Deputation** (including short term contract):

Officers of the Central or State Governments or Union territory Administrations or universities or public sector undertakings or recognized research institutions or Semi Government or Statutory organisations or autonomous bodies:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or  
(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and  
(b) possessing the following educational qualifications and experience:

**Essential:**

- (i) Degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering or Electrical Engineering or Electronics and Communication Engineering or Automobile Engineering or Naval Architecture or Nautical science from a recognized University or Institute: or

Masters degree in Zoology or Oceanography or Physics or Mathematics or Computer Applications or Fishery Science or Marine Biology or Industrial Fisheries from a recognized University or Institute; or

Post Graduate Diploma in Fisheries Science of the Central institute of Fisheries Education, Mumbai; or

Associate Diploma in Fisheries of the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai (Indian Council of Agricultural Research); or

Certificate of Competency as Master of a Foreign going ship or First Class Engineer of motorship issued by the Department of Shipping under the Merchant Shipping (Certificate of Competency) Rules, 1987; or

Certificate of Competency as Skipper Grade- I of Fishing Vessel issued by the Mercantile Marine Department, with graduation; and

- (ii) possessing five years teaching and training experience in any of the subjects or fields indicated above in an institution recognized by the Central or State Government with at least two years experience in imparting practical training on board fishery training vessel as Shore officer or Demonstrator.

**Desirable:**

Two years experience in Administration or Accounts or Stores in the Fisheries training Institute.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are on the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of applications.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
-----------------	---

[F.No.3-70/2018- Admn.V]

KRISHAN PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

**सा.का.नि. 95.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) भर्ती नियम, 2004 के उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण किया गया है या करने का लोप किया गया है, उप आयुक्त (आहार और चारा) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता – वह व्यक्ति**  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए
-----------	----------------	----------	----------------	--------	----------------	----------------